

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2019/1098

दिनांक:- 17/12/2019

संशोधित-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1071 दिनांक 12.12.2019 के द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल की 239वीं बैठक दिनांक 08.11.2019 के विन्दु संख्या 239.27 के निर्णय अनुसार आवासीय अभियंता खण्ड-हनुमानगढ़ के नई आवासीय योजना डी.टी.ओ. कार्यालय के पास 801 आवासों का निस्तारण ई-ऑक्शन में 0-25 प्रतिशत ऋणात्मक दर पर आरक्षित दर में निस्तारण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसमें सहवन से 0-25 प्रतिशत ऋणात्मक दर टंकित हो गया है।

अतः 0-25 प्रतिशत ऋणात्मक दर के स्थान पर 0-50 प्रतिशत ऋणात्मक दर पढ़ा जावे।

रा.अ.

(कश्मी कौर)

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, रा0आ0मा0, जयपुर।
4. निजी सचिव-वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-बीकानेर रा0आ0ग0, बीकानेर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-हनुमानगढ़, रा0आ0म0 हनुमानगढ़।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

रा.अ.

मुख्य सम्पदा प्रबंधक